फर्द अहकाम

श्रवण कुमार बनाम राजेन्द्र कुमार व अन्य

न्यायालय

संख्या 29/2022 वाद

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18/2/22	अधिवक्ता [illegible] उपस्थित। वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 R.T. Act का पेश किया गया है। रिपोर्ट दफ्तर हो चुकी है। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) CPC का स्वीकार किया जाता है। रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन की जाकर दिनांक 28/3/22 को पेश हो।	
	28/3/22	साइड ... आफीसर दौर / अवकाश पर है अत: अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 8/4/22 को पेश हो।	
	8/4/22	साइड ... आफीसर दौर / अवकाश पर है अत: अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13/6/22 को पेश हो।	
	13/6/22	साइड ... आफीसर दौर / अवकाश पर है अत: अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 12/7/22 को पेश हो	श्रवणकुमार
	12/7/22	प्रार्थी स्वयं जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर उन का बयान फाइनल तलबी का पेश होने पर फाइनल आज तलब की जाकर पेश हुई। प्रार्थी द्वारा जरिये	

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:22:19 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		अधिवक्ता के प्रा० पत्र बाबत विड्रा का पेश किया जाकर निवेदन किया है कि वादी उक्त प्रकरण को लोक अदालत की भावना से विड्रा करवाना चाहता है। उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र विड्रा किये जाने की कृपा करें।
		प्रा० पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी / वादी का प्रा० पत्र बाबत विड्रा का स्वीकार किया जाना न्यायोचित उचित होता है।
		अतः वादी का का प्रा० पत्र बाबत वाद पत्र विड्रा का स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को इसी स्टेज पर विड्रा किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।
		उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:22:49 IST
Reason: SelfAttested